बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

आ०सं०-स्था० 1-01/2015 ....37........../रा०, पटना, दिनांक-..02-03-17

"आदेश"

श्री कैलाश दास, वरीय राजभाषा सहायक के विरुद्ध दिनांक-14.01.2015 को दैनिक हिन्दुस्तान, पटना में प्रकाशित परीक्षा देनेवाले कर्मियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसा वसूलने के आरोपों में विभागीय का०आ०सं०-78/रा० सपठित ज्ञाप संख्या-538, दिनांक-25.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी, जिसके संचालन पदाधिकारी डॉ० राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी डॉ० मु० शाहिद जमील खाँ, राजभाषा पदाधिकारी (उर्दू) को नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत् तरीके से विभागीय कार्यवाही आरंभ करते हुए श्री दास को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। सुनवाई के क्रम में आरोपी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं समर्पित लिखित अभिकथन के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि आरोपी के बैंक खाता सं0-10839366264 एस0बी0आई0, सिंचाई भवन शाखा, पटना में विगत कई वर्षों से अवैध राशि वसूल कर डाली जाती रही है। तीन वर्षों की विवरणी के जाँच के क्रम में पाया गया कि उनके वेतन आदि के अतिरिक्त प्रपत्र 'क' में दर्ज जिलों के अलावा अन्य जिलों/स्थानों से भी अवैद्य राशि की उगाही की गयी। श्री दास द्वारा समर्पित टी.डी.एस. एवं सम्पत्ति के विवरणी के साथ उक्त बैंक खाता के मिलान में भिन्नता पायी गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक-30.11.2016 को प्राप्त हुआ, जिसमें लगाए गए सभी पाँचों आरोप प्रमाणित पाये गये। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 (3) के अधीन ज्ञापांक-884, दिनांक-07.12.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति देते हुए प्रथम कारण पृच्छा किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन और श्री दास द्वारा दिनांक-21.12.2016 को समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री दास का अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। पुनः विभागीय ज्ञाप संख्या-61/रा०, दिनांक-23.01.2017 द्वारा उनसे द्वितीय स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री दास अपने बचाव में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके।

इस प्रकार द्वितीय स्पष्टीकरण भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं:-

1. श्री दास द्वारा परीक्षार्थियों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसा वसूल करने का आरोप प्रमाणित; घटना स्थल गैरेज नं०-20 में अवैध वसूली करने का आरोप प्रमाणित;
2. जाँच प्रतिवेदन में श्री दास के स्टेट बैंक खाता संख्या-10839366264 में राज्य के विभिन्न स्थानों से नजायज ढ़ंग से खाता में अनेक व्यक्तियों द्वारा पैसा डलवाये जाने का आरोप भी प्रमाणित;
3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1979 की उपधारा-3(i)(ii)(iii) और 3(2) एवं 3(3) के अधीन भ्रष्टाचार में संलिप्तता, पद का दुरूपयोग तथा सरकारी पद पर रहकर अनैतिक आचरण अपनाए जाने का आरोप प्रमाणित;
4. छुट्टी के दिनों में कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर नजायज ढ़ंग से पैसा वसूलने का आरोप प्रमाणित।
5. श्री दास प्रायः अपनी सीट से अनुपस्थित पाये जाते थे जिसके कारण स्पष्टीकरण पूछा गया और एक दिन का वेतन भी रोका गया। अनुशासनहीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रमाणित।

उपर्युक्त सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं, जो अत्यन्त गंभीर एवं संगीन प्रकृति के हैं।

अतः उपर्युक्त सभी प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री कैलाश दास, वरीय राजभाषा सहायक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 (xi) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–स्था०–1–01/2015 ..../रा०, पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–स्था०–1–01/2015 ..../रा०, पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–स्था०–1–01/2015 ..../रा०, पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–श्री कैलाश दास, बर्खास्त वरीय राजभाषा सहायक, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–स्था०–1–01/2015 ..../रा०, पटना, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–स्था०–1–01/2015 ....176......./रा०, पटना, दिनांक–..02-03-17

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।

ह० 1/3/17
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव।